



प्रेस नोट

दिनांक- 06.09.2022

थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा 15,000 रूपये के पुरस्कार घोषित धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया !

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सिकंदरा के कुशल नेतृत्व में थाना सिकंदरा पुलिस टीम द्वारा शातिर अपराधी को एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 05.09.2022 को निरीक्षक विजय कुमार मय हमराह पुलिस बल देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि तभी मुखबिर खास द्वारा निरीक्षक को सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति अवैध शस्त्र के साथ दिखाई दिया है यदि आप जल्दी करे तो उसे पकड सकते है मुखबिर खास की सूचना तस्दीक करते हुये निरीक्षक द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को पकडते हुये उसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तत्पश्चात उसे हिरासत मे लेते हुये थाना सिकंदरा पर मु0अ0सं0- 179/22 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम पंकज यादव उर्फ असमेन्द्र पुत्र हरि सिंह निवासी पूठन अडडा थाना बढपुरा जनपद इटावा पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त द्वारा पूछतांछ मे बताया गया कि वह ट्रक नं0 यू.पी. 75 एम 4346 का वाहन स्वामी है। जिसका फिटनेस बीमा आदि न होने कारण ट्रक को चोरी छिपे नम्बर बदलकर चलवाता हूँ। दिनांक 22.10.2020 को मेरे ड्राइवर पंकज पुत्र सुरेश कठेरिया नि0 गाती थाना बढपुरा जनपद इटावा द्वारा बुलंद ट्रांसपोर्ट कानपुर, पवन कुमार जैन के यार्ड से करीब 25 टन 4 कुन्तल सरिया लोड किया गया था लोड किये सरिया को गंतव्य स्थान तक न पहुंचाकर उसको बेच दिया गया था उससे मिले रूपयों को मैने व ड्राइवर ने आपस मे बांट लिया था। इस सम्बन्ध मे थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 851/2020 धारा 406/420 पंजीकृत है, से सम्बन्धित ट्रक को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछतांछ का विवरण:-पूछतांछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह साथी ड्राइवर के साथ अपने ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर ट्रांसपोर्ट से सामान लादकर लादे हुये सामान को गंतव्य तक न पहुंचाकर रास्ते से गायब कर बेच देते है तथा बेचे गये सामान से प्राप्त रूपयों से अपना व अपने परिवार क भरण पोषण करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.पंकज यादव उर्फ असमेन्द्र पुत्र हरि सिंह निवासी पूठन अडडा थाना बढपुरा जनपद इटावा

बरामदगी-

1.01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

2.01 अदद ट्रक

अभियुक्त पंकज यादव उर्फ असमेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 08/15 धारा 147/148/352/332/307 थाना कोहना जनपद कानपुर नगर
- 2-मु0अ0सं0 निल/15 धारा 41/411/412/414 भादवि थाना कोहना जनपद कानपुर नगर
- 3- मु0अ0सं0 521/14 धारा 394/302/201 भादवि थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।
- 4-मु0अ0सं0 719/14 धारा 394/302/201 भादवि थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।
- 5-मु0अ0सं0 803/14 धारा 394/302 भादवि थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।
- 6-मु0अ0सं0 279/10 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 7-मु0अ0सं0 117/10 धारा 302 भादवि थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 8-मु0अ0सं0 193/12 धारा 394 भादवि व 11/130 द0प्र0क्षे0 अधि0 थाना फूफ भिण्ड म0प्र0।
- 9-मु0अ0सं0 110/14 धारा 147/149/323 भादवि थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 10-मु0अ0सं0 138/14 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 11-मु0अ0सं0 143/14 धारा 110जी थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 12-मु0अ0सं0 172/12 धारा 307/394 भादवि थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 13-मु0अ0सं0 51/18 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420/467/468/471 भादवि थाना बढपुरा जनपद इटावा।
- 14.मु0अ0सं0 851/2020 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- 15.मु0अ0सं0- 179/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.निरीक्षक अपराध श्री विजय कुमार थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
- 2.व0उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिंह थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
- 3.उ0नि0 श्री मोहित वर्मा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
- 4.का0 53 दुर्गेश दुबे थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
- 5.का0 1197 रणजीत सिंह थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**